# न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 35/2023/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 08.02.2023

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

**उनवान**

1. दुर्गालाल पुत्र श्रवण दास जाति बैरागी, निवासी ग्राम सालरिया, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़

...अपीलांट

**बनाम**

1. माफी पुन्यार्थ पूजन मंदिर ग्राम सालरिया जरिये वली पुजारी लाल चन्द पुत्र गोपाल जाति बैरागी, निवासी ग्राम बीरियाखेड़ी कलां, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मुकुट बिहारी पारेता अभिभाषक –अपीलांट
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

**::निर्णय::**

**दिनांक 09.07.2024**

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 32/अपील/2021 बउनवान दुर्गालाल बनाम माफी पुन्यार्थ पूजन मंदिर ग्राम सालरिया जरिये वली पुजारी लाल चन्द वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, तहसील झालरापाटन के आदेश दिनांक 21.03.2003 से ग्राम सालरिया की आराजी ख0सं0 175/2 कि 07 बिस्वा एवं 176/2 की 09 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 की 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 175 तस्दीक किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झालवाड़ को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2022 अनुसार ग्राम सालरिया का नामान्तरकरण संख्या 175 देवस्थान विभाग के शासन सचिव के पत्रांक प12(22)देव/91 दिनांक 06.03.2003 एवं अर्द्धशासकीय पत्र प23(22)देव/91 दिनांक 07.03.2003 जो जिला कलक्टर को लिखा गया, के क्रम में कार्यालय जिला कलक्टर से क्रमांक 1293–133/राजस्व दिनांक 20.03.2003 से तहसीलदार झालरापाटन को अग्रेषित किया जाने पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा पत्रांक 904–08 दिनांक 21.03.2003 से नायब तहसीलदार, झालरापाटन का पालनार्थ प्रेषित किये जाने से दिनांक 27.01.2006 को ग्राम सालरिया की वादग्रस्त आराजी भूमि माफी पूज्यनार्थ मंदिर के नाम नामान्तकरण संख्या 175 तस्दीक किये जाने पर हस्तगत प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज (संक्षेप में प्रथम

अपील) की गई। उक्त प्रथम अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई। जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि ग्राम सालरिया तह0 झालरापाटन के खाता संख्या 23 की खसरा संख्या 122 की रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा एवं ख0 संख्या 128 की 5 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता की 16 बीघा 5 बिस्वा आराजी पर जमाबंदी सम्वत् 2004 से 2007 अनुसार अपीलांट के ताउजी दल्लादास खातेदार एवं काबिज काश्त तथा उनके फौत होने पर अपीलांट के पिता श्रवणदास खातेदार एवं काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सम्वत 2030 से 2049 में सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग ने गलती से अपीलांट के पिता श्रवणदास के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 122 की 10 बीघा 5 बिस्वा व ख नं0 128 की 5 बीघा 6 बिस्वा आराजी को ख0 नं0 122/350 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, माफी रिज्यूम को अर्थात दोनों खातों की आराजी को सम्मिलित कर नये खसरा नम्बर व नया रकबा दोनों को मिला दिया, जिसका हाल खसरा नम्बर 175 एवं 176 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हैं, जिसका संपूर्ण खाता माफी पुण्यार्थपूजन मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। अपीलांट के पिताजी द्वारा सहायक कलक्टर, झालावाड के यहां एक वाद अन्तर्गत धारा 88–91 रा0टी0एक्ट बउनवान श्रवणदास बनाम सरकार वगेरह प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय एसीएम झालावाड़ द्वारा अपीलांट के पिता श्रवणदास के पक्ष में दिनांक 29.09.89 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। निर्णय के अनुसार माफी पुण्यार्थ पूजन मंदिर के नाम ख0 नं 175/1 की रकबा 18 बिस्वा व ख0नं0 176/1 की 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा तथा अपीलांट के पिता के खातेदारी में ख0सं0 175/2 की 7 बिस्वा व ख0नं0 176/2 की 9 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता 10 बीघा 2 बिस्वा आराजी दर्ज की गई, जिसका नामन्तरकरण संख्या 91 दिनांक 30.04.90 को दर्ज हुआ। अपीलांट के पिता श्रवणदास की दिनांक 12.07.1997 को फौत हो जाने पर उनके वारिसान दुर्गालाल, नन्दलाल व कलावती के नाम इन्तकाल संख्या 128 तस्दीक किया गया, जिस पर अपीलांट नियमित कब्जे काश्त चले आ रहे हैं। इसके उपरांत इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 21.03.2003 (27.01.2006) से संपूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट क्र.1 के दर्ज कर दिया, जो कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया है, जो किसी प्रकार से विधिसम्मत नहीं हैं। जिला कलक्टर, झालावाड़ ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया की वादग्रस्त आराजी अपीलांट के ताउजी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी थी, जिस पर 70–80 वर्षों से पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे हैं। नायब तहसीलदार, झालरापाटन ने उक्त इंतकाल कानूनी प्रावधानों के विपरित दिनांक 21.03.2003 से लेकर दिनांक 27.01.2006 को तस्दीक किया है तथा दिनांक 29.09.89 का निर्णय व डिक्री वर्तमान तक बहाल होने के बावजूद अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की आराजी को इन्तकाल संख्या 175 से रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाते हुए इन्तकाल नं0 175 को बहाल रखने में कानूनी त्रुटि की हैं। प्रशासन के द्वारा मन्दिर के नाम की जाने वाली जमीनों में पूर्व निजी खातेदार द्वारा प्रस्तुत न्यायालय के निर्णय व डिक्री का हवाला नहीं दिया है तथा एसीएम द्वारा पारित निर्णय को छीपाकर तथा धारा 86 एलआर एक्ट के परन्तुक के प्रावधान के विपरित जाकर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं देकर तथा कानूनन इन्तकाल तस्दीक प्रक्रिया अवधि बाधित होते हुए भी अपीलांट के निजी खाते की आराजी संख्या 503/175 रकबा 7 बिस्वा व खसरा सं0 504/176 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल 10 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सालरिया, तहसील झालरापाटन दर्ज किया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार होकर इन्तकाल नं 175 निरस्त किये जाने योग्य अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालवाड निर्णय

दिनांक 08.09.2022 एवं इन्तकाल संख्या 175 दिनांक 21.03.2003 (27.01.2006) तहसीलदार झालरापाटन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मन्दिर के नाम की जाने वाली जमीनों में पूर्व निजी खातेदार द्वारा प्रस्तुत न्यायालय के निर्णय व डिक्री का हवाला नहीं दिया है तथा एसीएम द्वारा पारित निर्णय को छीपाकर तथा धारा 86 एलआर एक्ट के परन्तुक के प्रावधान के विपरित जाकर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं देकर तथा कानूनन इन्तकाल तस्दीक प्रक्रिया अवधि बाधित होते हुए भी अपीलांट के निजी खाते की आराजी संख्या 503/175 रकबा 7 बिस्वा व खसरा सं0 504/176 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल 10 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम सालरिया, तहसील झालरापाटन दर्ज किया है। अतः अपील स्वीकार होकर इन्तकाल नं 175 निरस्त किये जाने योग्य अतः अपील प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालवाड निर्णय दिनांक 08.09.2022 एवं इन्तकाल संख्या 175 दिंनांक 21.03.2003 (27.01.2006) तहसीलदार झालरापाटन निरस्त किया जावे।

4 अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2022 न्यायोचित हैं। अपीलार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88–91 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 के तहत इसी आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें बाद सुनवाई तनकीयात कायम कर वादी का दावा साबित नहीं होने से दिनांक 05.02.2014 को खारिज किया गया हैं। न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा नामान्तकरण संख्या 175 को तस्दीक किया जाना सही माना गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील (प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 08.09.2022) के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम सालरिया का नामान्तरकरण संख्या 175 देवस्थान विभाग के शासन सचिव के पत्रांक प12(22)देव/91 दिनांक 06.03.2003 एवं अर्द्धशासकीय पत्र प23(22)देव/91 दिनांक 07.03.2003 जो जिला कलक्टर को लिखा गया, के क्रम में कार्यालय जिला कलक्टर से क्रमांक 1293–133/राजस्व दिनांक 20.03.2003 से तहसीलदार झालरापाटन को अग्रेषित किया जाने पर तहसीलदार झालरापाटन द्वारा पत्रांक 904–08 दिनांक 21.03.2003 से नायब तहसीलदार, झालरापाटन का पालनार्थ प्रेषित किये जाने से दिनांक 27.01.2006 को ग्राम सालरिया की वादग्रस्त आराजी भूमि माफी पूज्यनार्थ मंदिर के नाम नामान्तकरण संख्या 175 तस्दीक किये जाने पर हस्तगत प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज (संक्षेप में प्रथम अपील) की गई। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि ग्राम सालरिया तह0 झालरापाटन के खाता संख्या 23 की खसरा संख्या 122 की रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा एवं ख0 संख्या 128 की 5 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता की 16 बीघा 5 बिस्वा आराजी पर जमाबंदी सम्वत् 2004 से 2007 अनुसार अपीलांट के ताउजी दल्लादास खातेदार एवं काबिज काश्त तथा उनके फौत होने पर अपीलांट के पिता श्रवणदास खातेदार एवं काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सम्वत 2030 से 2049 में सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट विभाग ने गलती से

आयुक्त

अपीलांट के पिता श्रवणदास के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 122 की 10 बीघा 5 बिस्वा व ख नं0 128 की 5 बीघा 6 बिस्वा आराजी को ख0 नं0 122/350 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, माफी रिज्यूम को अर्थात दोनों खातों की आराजी को सम्मिलित कर नये खसरा नम्बर व नया रकबा दोनों को मिला दिया, जिसका हाल खसरा नम्बर 175 एवं 176 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हैं। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से अपीलांट के पिताजी के निजी खाते व कब्जे काश्त की आराजी को माफी रिज्यूम की भूमि के साथ मिलाकर संपूर्ण खाता माफी पुण्यार्थपूजन मंदिर के नाम दर्ज कर दिया। मुताबिक जमाबंदी संवत 2075–2078 ग्राम सालरिया, तहसील झालरापाटन अनुसार खसरा संख्या 175/529 रकबा 0.0885 हैक्टेयर एवं 176/531 रकबा 2.4658 हैक्टेयर भूमि माफी पुन्यार्थ पूजन मन्दिर हिस्सा पूर्ण के खातेदार दर्ज हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2022 अनुसार अपीलार्थी द्वारा एक वाद संख्या 450/12 अन्तर्गत धारा 88–91 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955 के तहत इसी आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें बाद सुनवाई तनकीयात कायम कर वादी का दावा साबित नहीं होने से दिनांक 05.02.2014 को खारिज किया गया हैं। साथ ही ग्राम सालरिया का नामान्तकरण संख्या 175 आराजी भूमि माफी पूज्यनार्थ मंदिर के नाम तस्दीक किये जाने पर हस्तगत प्रकरण में विधिसम्मत एवं नियमों में विहित प्रावधानानुसार होने से न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा अपील खारिज की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 08.09.2022 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

6 निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा